राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ. 3(2)(32)निम/स्था./स/2013/ 21935 दिनांक : 16-3-18

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड–II (वर्तमान पदनाम–कनिष्ठ सहायक) संयुक्त परीक्षा, 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/-- प्रतिमाह एवं दो वर्ष का परिवीक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में अधोलिखित शर्तों पर निम्नांकित को कार्यभार सम्भालने की तिथि से इस विभाग में लिपिक ग्रेड–II (वर्तमान पदनाम–कनिष्ठ सहायक) के रिक्त पदों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापित किये जाने वाले कार्यालय का नाम
1.	150	870005	श्री मुकेश सहारण	श्री सुरेश कुमार	BC	14-05-1993	मत्स्य विकास अधिकारी, हनुमानगढ़ (राज0)
2.	212	826529	श्री रणवीर सिंह चौधरी	श्री श्योराम चौधरी	BC	26-06-1988	निदेशालय मत्स्य राजस्थान, जयपुर

प्रोबेशन काल में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें लिपिक ग्रेड–II (वर्तमान पदनाम–कनिष्ठ सहायक) का वेतनमान राजस्थान सिविल सर्विसेज (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के शिड्यूल–I (पार्ट–बी) नियम–5 (vi) एवं (vii) के तहत पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 के सेल–1 के अनुसार रूपये 20,800/– पर वेतन निर्धारण किया जायेगा। न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है :–

1– उक्त नियुक्ति डी.बी. स्पेशल रिट अपील संख्या–965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03–11–2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

2– उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

3– अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

4– उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ. 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र. प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09–09–2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20–10–2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर, दिनांक 11–11–2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

5– परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

6– यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

7– दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II (वर्तमान पदनाम–कनिष्ठ सहायक) के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

8– परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

9– राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28–01–2004 एवं 27–03–2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

10– जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कराना होगा।

11– उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

12— संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 10/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व—वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

13— संबंधित अभ्यर्थी कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण—पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता एवं दिनांक 01—06—2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस बाबत् इन्हें कार्यग्रहण करने से पूर्व शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं प्रमाणस्वरूप मूल दस्तावेजों को आवश्यक रूप से मिलान हेतु साथ लाना होगा।

14— परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6)एफडी/रूल्स/05/दिनांक 13—03—2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13—03—2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13—03—2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13—03—2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30—10—2017 के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यदि पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

15— अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/— रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन—पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण—पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

16— सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण—पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

17— अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड—II (वर्तमान पदनाम—कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

18— अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Sd
आयुक्त मत्स्य
राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ. 3(2)(32)निम/स्था./स/2013/ 21936-56 दिनांक : 16-03-18

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1— विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2— सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3— निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4— संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप—3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.1(6)प्र.सु./अनु.—3/2017 दिनांक 18—02—2018 के सन्दर्भ में।
5— शासन उप सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6— अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7— उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
8— सहायक निदेशक मत्स्य (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर / मत्स्य विकास अधिकारी, हनुमानगढ़ (राज0) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र, पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं संतान सम्बन्धित प्रमाण—पत्र प्राप्त कर मूल दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान कर लें।
9— कोषाधिकारी, द्वारा सम्बन्धित कार्यालय।
10— सम्बन्धित अभ्यर्थी :—
(1) श्री मुकेश सहारण पुत्र श्री सुरेश कुमार, वार्ड नं.—7, ग्राम पोस्ट—सांवतसर, तहसील—पदमपुर, जिला—श्री गंगानगर (राज0) पिन कोड़—335041.
(2) श्री रणवीर सिंह चौधरी, पुत्र श्री श्योराम चौधरी, अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पीछे, गणपति नगर, वार्ड नं. 3, नीमकाथाना, जिला—सीकर (राज0) पिन कोड़—332713.
11— निजी पत्रावली सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
12— स्थापन "नि"/"ई"/"गोपनीय" शाखा, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13— बिल शाखा, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14— रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशकमत्स्य
(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर